

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

--: आदेश :-

क्रमांक /1681 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2021

बलौदाबाजार, दिनांक 22.09.2021

कार्यालयीन आदेश क्रमांक /1479 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2021 बलौदाबाजार

दिनांक 30 जुलाई 2021 के द्वारा विवाह कार्यक्रम एवं अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम के लिए अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है।

जिले में कोविड-19 संक्रमण दर में कमी आने के फलस्वरूप उक्त आदेश में संशोधन करते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम के लिए 50 एवं विवाह कार्यक्रम के लिए अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा

बलौदाबाजार, दिनांक 22.09.2021

पृ. क्रमांक /1681 /अजिद/एस.डब्ल्यू/2021
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमाण्डर बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार-भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार-भाटापारा, को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र एवं सोशल मिडिया में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
7. तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अंतर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी, (समस्त) बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अंतर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा